न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0–321 सन् 2004

भिखारी ठाकुर ....वादी

बनाम

सुदर्शन ठाकुर वो अन्य..........................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 20.04.2022

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी दी गई है। आज अभिलेख वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 01.09.2021 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी की ओर से आवेदन में कथन है कि इस वाद में दिनांक 16.01.2021 को सच्ची प्रतिलिपि खतियान दाखिल किया था लेकिन लिस्ट ऑफ डक्यूमेंट वो आवेदन में सच्ची प्रतिलिपि खतियान के जगह मूल प्रति खतियान दर्ज हो गया था। न्यायालय के आदेशानुसार लिस्ट ऑफ डक्यूमेंट को आवेदन में सुधार कर आवेदन दिया जा रहा है। इस वाद में अभिलेख के अवलोकन से पता चला है कि इस वाद में वादी सच्ची प्रतिलिपि खतियान दाखिल करना छूट गया हैं वादी खतियान की सच्ची प्रतिलिपि दाखिल कर रहा है। न्यायहित में सच्ची प्रतिलिपि खतियान का ग्राह्य होना जरूरी है। अतः निवेदन है कि वादी के द्वारा दाखिल सच्ची प्रतिलिपि खतियान को सबूत के रूप में ग्राह्य किया जाए।

प्रतिवादी सं0 01 की ओर से दिनांक 17.11.2021 को उपर्युक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया। जिसमें उनका कथन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन खारिज होने योग्य है। वादी के द्वारा दाखिल लिस्ट ऑफ डक्यूमेंट में एवं आवेदन

में यह बयान नहीं किया गया ह कि खतियान की सच्ची प्रति साबिक सर्वे का है या हाल सर्वे का है। वादी ने एक भी बयान नहीं किया है कि खतियान किस मौजा से संबंधित है तथा खाता एवं खेसरा क्या है। वादी का आवेदन अस्पष्ट है जो स्वीकार होने योग्य नहीं है। अतः निवेदन है कि वादी के आवेदन को खर्चा के साथ खारिज किया जाए।

उभय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में वादी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी की ओर से दिनांक 16.01.2021 को आवेदन दाखिल कर खतियान की मूल प्रति साबूत में ग्राह्य कराने हेतु निवेदन किया गया था जिस पर न्यायालय के द्वारा दिनांक 09.04.2021 को आदेश पारित करते हुए वादी को निर्देश दिया गया था कि वादी की ओर से दिनांक 16.01.2021 को लिस्ट ऑफ डक्यूमेंट के साथ दाखिल खतियान की अभिप्रमाणित प्रति सुधार करते हुए नियमानुकूल आवेदन दाखिल करें। न्यायालय के आदेश दिनांक 09.04.2021 के आलोक में वादी की ओर से यह आवेदन दाखिल किया गया है। वादी ने अपने आवेदन में खतियान की सच्ची प्रतिलिपि को सबूत में ग्राह्य कराने हेतु निवेदन किया है जो लोक दस्तावेज की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 01.09.2021 को न्यायहित में स्वीकृत किया जाता है।

वाद दिनांक 13.07.2022 को साक्ष्य हेतु नियत किया जाता है।

सब जज

सोनपुर सारण।